भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 392
दिनांक 19 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

महिलाओं का कार्यस्थलों पर उत्पीड़न

*392. श्री राहुल रमेश शेवलेः
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान महिलाओं का कार्यस्थलों पर, विशेषकर केन्द्र सरकार के अस्पतालों जैसे कार्यालयों में पाली में ड्यूटी करने वाली महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश में सूचित ऐसे मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबन्ध देश में उक्त कार्यालयों में महिलाओं को कार्य का संरक्षित एवं सुरक्षित माहौल प्रदान करने में अपर्याप्त है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा महिलाओं को कार्यस्थलों पर होने वाले उत्पीड़न से बचाने तथा पुरुषों में महिलाओं के प्रति आदर की भावना पैदा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

‘महिलाओं का कार्यस्थलों पर उत्पीड़न’ विषय पर श्री राहुल रमेश शेवले और श्री भर्तृहरि महताब द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 392 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): देश में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया है जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरूद्ध संरक्षण तथा यौन उत्पीड़न की शिकायतों तथा इससे संबंधित या जुड़े मामलों का निवारण एवं रोकथाम करना है। अधिनियम के तहत सभी महिलाएं शामिल हैं, उनकी आयु, रोजगार का स्तर या कार्य की प्रकृति जो भी हो (शिफ्ट में काम कर रही हों या अन्यथा)।

सी अधिनियम एक व्यापक कानून है। यह केन्द्र सरकार के कार्यालयों एवं अस्पतालों सहित सभी कार्यस्थलों के नियोक्ताओं पर ऐसे कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए आंतरिक समितियों (आईसी) का गठन करने की जिम्मेदारी डालता है। इसके अलावा यह अधिनियम 10 से कम कामगारों वाले संगठनों से शिकायतें तथा स्वयं नियोक्ताओं के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सभी जिलों में स्थानीय समितियों (एलसी) का गठन करने के लिए अधिनियम के तहत यथापरिभाषित उपयुक्त सरकारों द्वारा अधिसूचित जिला अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालता है।

सी अधिनियम की धारा 21 और 22 के अनुसार आईसी और एलसी से प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिपोर्टें तैयार करने तथा उसे जिला अधिकारी को प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। नियोक्ता अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के तहत दाखिल किए गए मामलों, यदि कोई हो, एवं उनके निस्तारण की संख्या शामिल करेगा अथवा जहां ऐसी रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, जिला अधिकारी को ऐसे मामलों, यदि कोई हो, की संख्या के बारे में सूचित करेगा। जिला अधिकारी राज्य सरकार को इस प्रकार प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों पर संक्षिप्त रिपोर्ट अग्रेषित करेगा। इस प्रकार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई केन्द्रीय कृत डाटा नहीं रखा जाता है।

इसके अलावा यौन उत्पीड़न सहित यौन प्रकृति के अपराधों पर विभिन्न प्रावधान जैसे कि भारतीय दंड संहित 1860 (आईपीसी) की धारा 354,354ए और 509 भी लागू हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार कार्यस्थलों पर महिलाओं की शिष्टता का अपमान नामक श्रेणी के तहत 2014, 2015 और 2016 के दौरान क्रमश: कुल 57, 119 और 142 मामले दर्ज किए गए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक-1 में उपलब्ध है। एनसीआरबी के पास उपलब्ध नवीनतम डाटा वर्ष 2016 से संबंधित है।

(घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी (नेसकॉम) आदि सहित व्यवसाय संघों को समय-समय पर एडबाइजरी जारी करता है। इसके अलावा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कार्यस्थल परयौन उत्पीड़न के मामलों तथा संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं निवारण तंत्रों के बारे में कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए अपनेविभागों/कार्यालयों में कार्यशालाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने का अनुरोध किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सी अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑडियो/वीडियो स्पॉट के माध्यम से मीडिया में नियमित रूप से अभियान चलाता है। उपर्युक्त के अलावा देश में अधिनियम के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम जैसे कि प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि के संचालन के लिए संसाधन संस्थाओं का एक पूल चिन्हित किया है।

****

अनुलग्नक-I

'महिलाओं का कार्यस्थलों पर उत्पीड़न' विषय पर श्री राहुल रमेश शेवले और श्री भर्तृहरि महताब द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 392 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यालय परिसर में		
		2014	**2015**	**2016**
1	आंध्र प्रदेश	3	3	7
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	0	1	0
4	बिहार	0	0	73
5	छत्तीसगढ़	0	0	4
6	गोवा	1	4	1
7	गुजरात	1	1	0
8	हरियाणा	1	1	3
9	हिमाचल प्रदेश	0	1	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11	झारखंड	0	0	1
12	कर्नाटक	3	5	9
13	केरल	6	0	8
14	मध्य प्रदेश	1	1	1
15	महाराष्ट्र	10	27	11
16	मणिपुर	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0
19	नागालैंड	0	1	0
20	ओडिशा	8	0	0
21	पंजाब	0	0	0
22	राजस्थान	0	0	0
23	सिक्किम	0	0	0
24	तमिलनाडु	2	0	0
25	तेलंगाना	5	32	8
26	त्रिपुरा	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	0	0	4
28	उत्तराखंड	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	4	6	0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	2
32	दादर और नागर हवेली	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0
34	दिल्ली	11	36	9
35	लक्षद्वीप	0	0	1
36	पुद्दुचेरी	1	0	0
	कुल (अखिल भारत)	**57**	**119**	**142**